[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 44/2020-सीमा शुल्क
नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि.-...(अ).- जहां कि "फ्थेलिक एनहाइड्राइड" (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2917 35 00 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में व्यापार उपचार महानिदेशक (एतश्मिन पश्चात जिन्हें उक्त प्राधिकारी से संबंधित किया गया है) ने इस बात का निर्धारण करने के उद्देश्य से की क्या कोरिया गणराज्य से विषयगत वस्तु का आयात अत्यधिक हुआ है और क्या ऐसे बढ़े हुए आयात के कारण हमारे घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है या सारवान क्षति होने का खतरा पैदा हो गया है, प्रारंभिकरण अधिसूचना संख्या 22/8/2019-डीजीटीआर, दिनांक 1 अक्तूबर, 2019, जिसे दिनांक 1 अक्तूबर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के तहत भारत-कोरिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय) नियमावली, 2017 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के अनुसार जांच का कार्य शुरू किया था ।

और जहां कि उक्त प्राधिकारी के उल्लिखित द्विपक्षीय रक्षोपाय जांच में प्राथमिक निष्कर्षों, जिसे फाइल संख्या 22/8/2019-डीजीटीआर, दिनांक 11 मई, 2020 के तहत जारी किया गया था और जिसे दिनांक 11 मई, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009, जिसे सा.का.नि. 943 (अ.), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी संशोधन करके, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 29/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2020, जिसे सा.का.नि. 430 (अ.), दिनांक 6 जुलाई, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उक्त विषयगत वस्तु पर अनंतिम रूप से द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय लगाया था;

और जहां कि अधिसूचना संख्या 22/8/2019-डीजीटीआर, दिनांक 28 सितम्बर, 2020,

जिसे दिनांक 28 सितम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के तहत जारी द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय जांच के अपने अंतिम निष्कर्षों में उक्त प्राधिकारी इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि -

(i) कोरिया से होने वाले उक्त उत्पाद के आयात में बढ़ोतरी हुई है और इसे उक्त नियमावली तथा भारत- कोरिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार की दृष्टि से "बढ़ा हुआ आयात" माना जा सकता है;

(ii) इस बढ़े हुए आयात के कारण घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है या गंभीर क्षति होने का खतरा पैदा हो गया है;

(iii) इस भारत- कोरिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत सीमा शुल्क को कम किए जाने या इसे समाप्त कर दिए जाने के कारण मूलत: उत्पादित वस्तु के आयात में हुई वृद्धि और हमारे घरेलू उद्योग को हुई गंभीर क्षति और गंभीर क्षति के खतरे के बीच एक सीधा संबंध देखा जा सकता है,

और उन्होंने उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों में अधिसूचना संख्या 22/8/2019-डीजीटीआर, दिनांक 11 मई, 2020 के तहत जारी अपने प्राथमिक निष्कर्षों की अभिपुष्टि की है और कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित और भारत में आयातित उक्त विषयगत वस्तु पर लगे सीमाशुल्क की दर में, अधिसूचना संख्या 29/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 6 जुलाई, 2020 के तहत केन्द्र सरकार के द्वारा लगाए गए अनंतिम उपाय को अधिसूचित किए जाने की तारीख से, उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों में यथा विनिर्दिष्ट वृद्धि किए जाने के रुप में द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय को लागू किए जाने की सिफारिश की है ।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 11 और नियम 12 के उप नियम (2) के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, दिनांक 6 जुलाई, 2020 से लगाए गए अनंतिम द्विपक्षीय रक्षोपाय उपाय की अभिपुष्टि करती है और एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009, जिसे सा.का.नि. 943 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,

(i) सारणी में, क्रम संख्या 230ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"230ग	2917 35 00	सभी वस्तुएं	5.63";

(ii) प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-
"बशर्ते कि, व्यापार उपचार महानिदेशक द्वारा सिफारिश किये गए रक्षोपाय उपाय को प्रभाव देने हेतु,-

(क) उक्त सारणी के क्रम संख्या 230क और उससे संबंधित प्रविष्टियों में निहित किसी भी बात का प्रभाव 5 जुलाई, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू नहीं होगा, और

(ख) उक्त सारणी के क्रम संख्या 230ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों में निहित किसी भी बात का प्रभाव 5 जुलाई, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू नहीं होगा;

यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो ।"

[फाइल संख्या 354/51/2020-टीआरयू]

(गौरव सिंह)
उप सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 152/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 को सा.का.नि 943 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 37/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 20 अक्तूबर, 2020 जिसे सा.का.नि 651 (अ), दिनांक 20 अक्तूबर, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।